



2026:AHC:20990

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या – 463 सन् 2026

आशीष दुबेयाचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्यउत्तरदाता(उत्तरदाताओं)

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं) के अधिवक्ता : कृष्ण मोहन ओझा

उत्तरदाता(उत्तरदाताओं) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति, विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री के.एम. ओझा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री राहुल मालवीय को सुना।
2. इस न्यायालय ने 19.01.2026 को रिट याचिका पर सुनवाई की और निर्देश मांगे।
3. आज, अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य विभाग, मेरठ मंडल, मेरठ के हस्ताक्षर से दिनांक 27.01.2026 के निर्देश प्रस्तुत किए गए। श्री राहुल मालवीय ने निवेदन किया है कि वे इस मामले पर बहस करने में सक्षम हैं। पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश दुबे आपूर्ति निरीक्षक थे और उनकी मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता को लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन सेवा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि 22.12.2025 को संयुक्त आयुक्त, खाद्य विभाग, मेरठ क्षेत्र, मेरठ द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ता का वेतन दिसंबर 2025 से रोक दिया गया। इसके बाद, 22.12.2025 को, याचिकाकर्ता को अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने 28.12.2025 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया था और उसके बाद, 31.12.2025 को संयुक्त निदेशक, खाद्य विभाग, मेरठ क्षेत्र, मेरठ द्वारा मार्च 2025 से वेतन रोकने का आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर की अवधि के लिए भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया।
5. चौथे उत्तरदाता, संयुक्त आयुक्त, खाद्य विभाग, मेरठ क्षेत्र, मेरठ द्वारा दिनांक 22.12.2025 और 31.12.2025 को पारित आदेशों को चुनौती देते हुए, यह रिट याचिका दायर की गई।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि चुनौती दिए गए आक्षेपित आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि यह आदेश याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार किए बिना पारित किया गया है। उन्होंने निवेदन किया कि यद्यपि 22.12.2025 को याचिकाकर्ता को अपना उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था और याचिकाकर्ता ने 28.12.2025 को अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया था परन्तु 31.12.2025 के आदेश के आधार पर ही वेतन रोक दिया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि कम से कम याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण पर विचार किया जाना चाहिए था, इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।

7. श्री राहुल मालवीय, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर निवेदन किया कि उत्तरदाताओं ने सभी पहलुओं की जांच करने के बाद वेतन रोक दिया है, यद्यपि, उनके अनुसार, चुनौती दिए गए आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता के उत्तर पर विचार किया गया है।

8. मैंने बार में दिए गए निवेदनों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

9. स्पष्टतः, याचिकाकर्ता का वेतन उपरोक्त अवधि के लिए रोक दिया गया है। यद्यपि याचिकाकर्ता के अनुसार, 22.12.2025 को उत्तर मांगने के लिए पत्र जारी किए गए थे, जिसका याचिकाकर्ता ने 28.12.2025 को जल्दबाजी में बिना विचार किए उत्तर दिया था, फिर भी चौथे उत्तरदाता द्वारा 22.12.2025 और 31.12.2025 को वेतन रोकने का आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

10. इस समय, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री राहुल मालवीय ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण पर विचार किया जाएगा।

11. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है:

(क) चौथे उत्तरदाता, संयुक्त आयुक्त, खाद्य विभाग, मेरठ क्षेत्र, मेरठ द्वारा दिनांक 22.12.2025 और 31.12.2025 को पारित आदेश अपास्त किए जाते हैं;

(ख) रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करते हुए, मामले को प्राधिकरण को पुनः भेजा जाता है ताकि वह नया आदेश पारित कर सके।

12. इस तथ्य से संबंधित प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा कि क्या उत्तरदाता संख्या 4 याचिकाकर्ता का प्राधिकारी नहीं है जैसा कि रिट याचिकाकर्ता ने दावा किया है

13. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है।

(विकास

बुधवार, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"